**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 399

उत्‍तर देने की तारीख: 13.12.2018

**प्रतिष्ठित संस्थान के संबंध में परामर्श**

**399. श्री रिपुन बोराः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रतिष्ठित संस्थान मानित विश्वविद्यालय विनियम, 2017 को लाने से पहले आम जनता सहित सभी हितार्थियों से परामर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए हैं और क्या इन्हें विनियमों में शामिल किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो विधान पूर्व परामर्श नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन विनियमों को सभा पटल पर रख दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)**

(क) और (ख): जी, हां। लोगों से टिप्‍पणियां प्राप्‍त करने के लिए, मसौदा विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) (उत्‍कृष्‍ट सम‍वत विश्‍वविद्यालय संस्‍थाएं) विनियम, 2017 को इस मंत्रालय, यूजीसी और mygov.in पर रखा गया था। विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हितधारकों और आम लोगों से प्राप्‍त सुझावों/आपत्तियों को अपने विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) (उत्‍कृष्‍ट सम‍वत विश्‍वविद्यालय संस्‍थाएं) विनियम, 2017 में समुचित रूप से शामिल किया गया था।

(ग): उपयुक्‍त के मद्देनजर प्रश्‍न नहीं उठता।

(घ) और (ड.): जी, हां।

**\*\*\*\*\***